निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– एफ.4(ई)/द्वितीय एसीपी 92/अलेसे–III/ 12117-12122 दिनांकः–30/1/14

आदेश संख्या....367....../2013–14

श्री नवल किशोर पारीक, कनिष्ठ लेखाकार (402/1992) की प्रथम नियुक्ति 15.03.1995 हैं। श्री नवल किशोर पारीक ने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा दिनांक 15.03.2013 को पूर्ण कर ली है, अतः श्री पारीक को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7) वित्त(नियम/2008/ दिनांक 12.9.2008 एवं आदेश संख्या एफ11(7) वित्त (नियम) पार्ट–I/ 2008 दिनांक 6.10. 2008 के अनुसरण में 18 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 15.03.2013 से कनिष्ठ लेखाकार के पद का द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी) पे–बेण्ड 2 (9300–34800) ग्रेड पे 4200/– में स्वीकृत की जाती हैं।

श्री नवल किशोर पारीक को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प014 (88) वित्त/ नियम/2008 दिनांक 31.12.2009 में दी गई शर्तो के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा संतान संबंधी धोषणा प्राप्ति के आधार पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती हैं।

श्री पारीक के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार उपलब्ध नहीं होने पर गत 9 वर्षो में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति के बारे में निर्णय लिया जाकर तद्नुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

श्री नवल किशोर पारीक का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.9.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावें कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा हैं एवं एसीपी स्वीकृति तिथि को इनके विरूद्व कोई विभागीय जाचं लम्बित नहीं हैं। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवापुस्तिका में की जावें।

(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.4(ई)/द्वितीय एसीपी 92/ अलेसे–III/ 12117-12122 दिनांकः– 30-1-14

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. तहसीलदार, देवली, जिला–टोंक ।
2. श्री नवल किशोर पारीक, कनिष्ठ लेखाकार, तहसीलदार, देवली, जिला–टोंक।
3. निजी सहायक, निदेशक महोदया
4. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I) (गोपनीय शाखा) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कनिष्ठ लेखाकार के भविष्य में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कोइ प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होती है, तो उनके प्रकरण को पुनः खाले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।
5. उपनिदेशक(एसीपी) /निजी/गार्ड फाईल ।

(महेन्द्र सिंह भूकर)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक–II)